कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक 1191 आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/वाई0ई0ए0(जेवर एयरपोर्ट)/2019 दिनांक 01-11-19

1–सम्पादक,
अमर उजाला,
गौतमबुद्धनगर।
2–सम्पादक,
दैनिक जागरण,
गौतमबुद्धनगर।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4 मे दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन नागरिक उडड्न अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 1664/56–2019–31/2016 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 से निर्धारित अवधि 31.10.2019 को पूर्ण होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारिण एजेन्सी द्वारा समय सीमा बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उ0प्र0 नियमावली 2016 के अध्याय–2 सामाजिक समाघात निर्धारितके नियम–6 के उपनियम–5 में उल्लिखित है कि "सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट, इस नियम के प्रारूप–3 में राज्य सरकार को, निर्धारण संबंधी अधिसूचना निर्गत होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रभावित कुटुम्बों के संबंध में लेखबद्व अभिलिखित दृष्टिकोण शामिल होगा। तथापि राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अवधि को छः माह तक (जिसमें पूर्व में दिया गया समय सम्मिलित होगा) विस्तारितकर सकेगी।"

इसी कम में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 2081/छप्पन–2019–31/2016 दिनांक 31.10.2019 के द्वारा कुलसचिव, गौतमबुद्व विश्वविद्यालय,ग्रेटर नौएडा,गौतमबुद्धनगर के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में किए गये अनुरोध के कम में इस कार्यालय के पत्र सं0 1188/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जेवर/गौतमबुद्धनगर दिनांक 31 अक्टूबर,2019 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट,जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में राजस्व ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे0 48.097 है0 भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण SIA रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 तक का समय प्रदान किया गया है।

अतः उपरोक्त सार्वजनिक सूचना/ विज्ञप्ति की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सार्वजनिक सूचना/ विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें, और प्रकाशन का व्यय सरकारी दरों पर निर्धारण करते हुऐ व्यय की धनराशि का बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दे।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(बलराम सिंह)
कलेक्टर
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक व दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।
1– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ।
2– जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सार्वजनिक सूचना एवं शासन के पत्र सं0 2081/छप्पन–2019–31/2016 दिनांक 31.10.2019 को नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

01/11/19
कलेक्टर
गौतमबुद्धनगर।

संख्या: 2081/छप्पन-2019-31/2016

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),
गौतमबुद्धनगर।

नागरिक उड्डयन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

विषयः नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1188/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जेवर/गौतमबुद्धनगर दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में राजस्व ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 48.097 है0 भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 तक का समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलसचिव, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में किए गए अनुरोध और आपके उक्त पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में राजस्व ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 48.097 हैक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 तक का समय प्रदान किया जाता है।

भवदीय,

31.10.19
(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव

2/...

पृ0सं0- 2081(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. कुल सचिव, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव